

न्यायालय सिविल जज (जूडिं) एफ०टी०सी० शामिल स्थित कैराना।

उपस्थित- सुधा शर्मा -----(उ०प्र० न्यायिक सेवा)

सी.एन.आर.नं०-UPSM040015582021

आपराधिक वाद सं०-660/9/2021

सरकार----- अभियोजन पक्ष।

बनाम

(1) वसीम उर्फ बिहारी पुत्र शकील

(2) फिरोज पुत्र शकील

(3) इमलाक पुत्र जाहूल

समस्त निवासीगण ग्राम कुरमाली, थाना-बाबरी, जिला शामिल ----- अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०-229/2017

अंतर्गत धारा-323, 325, 506 भा.द.सं.

थाना- कांधला, जिला-शामली।

निर्णय

अभियुक्तगण वसीम, फिरोज, इमलाक के विरुद्ध आरोप पत्र थाना बाबरी, जिला शामिल की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 229/2017 धारा 323, 325, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16.08.2017 के रात के 9.15 बजे की है। गांव के दबंग लड़कों वसीम उर्फ बिहारी पुत्र सकील, फिरोज पुत्र सकील, इमलाक पुत्र जाहूल ने मिलकर प्रार्थी के पुत्र कामिल को नमाज़ में जाते हुये को लाईट मारकर आवाज लगाई और गली में घेर कर मारना शुरू कर दिया। हथियारों व डंडों से हमला किया जिसमें कामिल को अनदरुनी काफी चोंटे आयी सिर में आँख पर व नाक की हड्डी तोड़ दी। जिससे कामिल का काफी खून बह गया और वह बेहोश हो गया। झगड़े का शोर सुनकर दो लड़कों खान पुत्र माजिद व छोटन पुत्र नहुल ने कामिल को छुटवा दिया और जाते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गये। प्रार्थना है कि उपरोक्त के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।

प्रार्थी/वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 16/08/2017 धारा 323, 325, 506 भा.द.सं. में अभियुक्तगण वसीम उर्फ बिहारी, फिरोज, व इमलाक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसका खुलासा नकल रपट में किया गया तथा विवेचना एस.आई. ओमबीर सिंह, थाना बाबरी के सुपुर्द की गयी, जिनके द्वारा गवाहों के बयानात अंकित किए गए तथा मौके पर पहुँच कर मौके का नक्शा-नजरी बनाया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण वसीम उर्फ बिहारी, फिरोज व इमलाक के विरुद्ध धारा 323, 325, 506 भा.द.सं. का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उक्त आरोप पत्र पर अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण जरिये समन तलब किये गए। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण वसीम उर्फ बिहारी, फिरोज व इमलाक के विरुद्ध धारा 323, 325, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये, जिसमें उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू० 1 युनुस, पी०डब्लू० 2 कामिल, पी०डब्लू० 3 खान उर्फ फिरोज खान व पी०डब्लू० 4 महबूब उर्फ छोटा को परीक्षित कराया गया है। इसके पश्चात अभियोजन ने अपना साक्ष्य समाप्त किया।

अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किए गये जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया, मुकदमा गलत दर्ज करना बताया तथा गवाही के बारे में अपनी कोई गवाही न दिए जाने का कथन किया एवं स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया। तत्पश्चात अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य देने का अवसर दिया किंतु कोई सफाई साक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया और न्यायालय की अनुमति से अभियुक्तगण का यह अवसर समाप्त किया गया।

मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगणों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

उक्त अभियोग को साबित करने का भार अभियोजन पर था। अभियोजन द्वारा उक्त अभियोग का साबित करने हेतु चार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य इस न्यायालय में कराये जिन्होंने अपने साक्ष्य में निम्न प्रकार से कथन किये हैं।

Sey-attest
2
01/11/21

गवाह पी०डब्लू० 1 युनुस ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कामिल मेरा पुत्र है। उसे गांव के वसीम, फिरोज, इमलाक ने नमाज में जाते समय लाईट लगाकर आवाज लगायी और गली में घेर कर लाठी-डंडों से मारा पीटा जिसमें कामिल को चोट आयी। कामिल के सिर में चोट आयी व नाक की हड्डी टूट गयी। शोर पर गांव के लड़के खान व छोटन ने बीच-बचाव किया। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। सूचना पाकर मैं मौके पर गया तथा अपने बेटे की डाक्टरी सरकारी अस्पताल में करवायी थी तथा तहरीर थाने में दी थी। गवाह ने तहरीर देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने थाने में दी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। तहरीर पर प्रदर्श क-01 डाला गया।

गवाह पी०डब्लू० 2 कासिम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.08.2017 की रात के 9.30 बजे नमाज पढ़ने जाते समय मुझे वसीम उर्फ बिहारी, फिरोज व इमलाक ने रोक कर लाठी-डंडों से मारा-पीटा नहीं था। रात्रि के अंधेरे की वजह से मैंने इनको मौके पर देखा नहीं था। ठोकर लगकर गिर जाने से मुझे चोट लग गयी थी। मैंने अपने पिता से भी मुल्जिमान द्वारा मारने की बात नहीं बताई थी। मुल्जिमान ने मेरे साथ कोई गाली-गलौच नहीं किया था।

गवाह पी०डब्लू० 3 खान उर्फ फिरोज खान ने सशपथ बयान किया कि मैं कामिल को जानता हूँ। वसीम, फिरोज, इमलाक को भी जानता हूँ। दिनांक 16.08.2017 की रात के 9.30 बजे मेरे सामने मैंने कामिल को वसीम, फिरोज व इमलाक द्वारा मारते-पीटते नहीं देखा था। मैं मौके पर नहीं था। मैंने कोई घटना नहीं देखी थी।

गवाह पी०डब्लू० 4 महबूब उर्फ छोटा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना करीब दो-ढाई साल पहले की है। दिनांक मुझे याद नहीं है। समय भी मुझे याद नहीं है। दिनांक 16.08.2017 को मैं अपने घर पर था। वसीम, फिरोज, इमलाक को मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरे गांव के हैं। इन लोगों ने युनुस के साथ कोई घटना कारित की थी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरे सामने कोई घटना कारित नहीं हुयी। मेरे सामने कामिल के साथ भी कोई मारपीट नहीं हुयी है।

मैंने उभयपक्षों की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार किया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

न्यायालय में परीक्षित गवाह पी०डब्लू० 01 युनुस ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है परन्तु प्रति परीक्षा में कथन किया है कि दारोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया और न ही मेरे सामने इस प्रकार की कोई घटना कारित हुई थी। घटना के समय मैं मौके पर मौजूद नहीं था। हाजिर अदालत मुल्जिमान इमलाक, वसीम उर्फ बिहारी, फिरोज ने मेरे लड़के कामिल के साथ लाठी-डंडों से मारपीट नहीं किया था न गाली-गलौच किया और न जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने रिपोर्ट मुल्जिमान के खिलाफ गांव वालों के कहने पर लिखवाई थी।

गवाह पी०डब्लू० 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.08.2017 की रात के 9.30 बजे नमाज पढ़ने जाते समय मुझे वसीम, फिरोज, इमलाक ने रोक कर लाठी-डंडों से मारापीटा नहीं था। रात्रि के अंधेरे की वजह से मैंने इन्हें नहीं देखा था। ठोकर लगकर गिर जाने से मुझे चोट लग गयी थी। मैंने अपने पिता से भी मुल्जिमान द्वारा मारने की बात नहीं बताई थी। गवाह पी०डब्लू० 01 द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अपने पुत्र कामिल को मुल्जिमान द्वारा मारपीट करने की वजह से चोट आने की बात कही गयी है, गाली-गलौच किये जाने का बात कही गयी है एवं जान से मार देने की धमकी दिये जाने की बात कही गयी है। जिरह में कथन किया गया कि वह मौके पर मौजूद नहीं था। मुल्जिमान ने उसके पुत्र के साथ न मारपीट की न गाली-गलौच की और न ही जान से मारने की धमकी दी।

गवाह पी०डब्लू० 3 द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि कामिल को मैं जानता हूँ। मैंने मुल्जिमान को कामिल के साथ मारते-पीटते नहीं देखा था। मैं मौके पर नहीं था। मैंने दारोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। कैसे लिखा मुझे नहीं पता।

गवाह पी०डब्लू० 4 द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि मैं वसीम, फिरोज, इमलाक को जानता हूँ। मेरे सामने कोई घटना कारित नहीं हुयी। मेरे सामने कामिल के साथ कोई मारपीट नहीं हुयी है। न ही जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी।

इस प्रकार चारों गवाहों ने अपने बयान में वसीम, फिरोज व इमलाक द्वारा पीड़ित कामिल के साथ मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दिये जाने से इंकार किया है, जिसमें अभियुक्तगण का घटना में संलिप्त होना संदिग्ध प्रतीत होता है।

गवाह पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 के मुख्य परीक्षा के बयानों में विरोधाभास है और जहां तक दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है इस संबंध में अभियुक्त तब तक दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका समर्थन परिस्थितिजन्य साक्ष्य से न होता हो।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण वसीम उर्फ बिहारी, फिरोज, इमलाक के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 325, 506 भा.द.सं. को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उक्त संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए आरोपित उक्त अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

Self attested,
01/11/17

आदेश

अभियुक्तगण वसीम उर्फ बिहारी, फिरोज व इमलाक को आपराधिक वाद सं०-660/9/2021, जुर्म अंतर्गत धारा 323, 325, 506 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण वसीम उर्फ बिहारी, फिरोज व इमलाक जमानत पर हैं उनकी पूर्व जमानते निरस्त की जाती हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा दाखिल धारा 437A द.प्र.सं. हेतु जमानतें में निर्णय के छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। पत्रावली वास्ते दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-26.03.2021

सुधा शर्मा
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०
शामली स्थित कैराना।
जे०ओ०कोड-UP 03263

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-26.03.2021

सुधा शर्मा
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०
शामली स्थित कैराना।
जे०ओ०कोड-UP 03263

Self attested,
k
01/11/21